

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1982/भाद्र 29, 1904
No 278] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1982/BAHARA 29, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिरूचना

सं० 213/62 सीमांकन

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1982

सा का.नि. 572(ई) —केंद्रीय सरकार, विनियुक्त अधिनियम, 1962
(1962 का 32) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा पदचर्चा के अधीन आने वाले
दृष्ट, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधिनियम
सं० 177/82 सीमांकन, तारीख 5 जनवरी, 1982 को अधिनियम द्वारा दृष्ट, अधिनियम

यह सम्मान्य हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, गीमाखक टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची में शीर्षक सं. 1 के अधीन आने वाली चाफ़ी का, जस उसका निर्यात भारत से बाहर दिया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची में वर्णित उस पर उद्घाटनीय संसाधन के उतने भाग से छूट देती हैं जो प्रति क्विंटल 300 रुपये से अधिक है।

[फा सं 347/7/78-पी आर ए]

ज श्रीधरन्, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 213/82-CUSTOMS

New Delhi the 20th September, 1982

GSR. 572(F)—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 177/82-Customs, dated the 5th July, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 300 per quintal.

I, SRIDHARAN, Under Secy

[F. No. 347/7/78-TRC]